

28 ⁶/₂₄

मु0न0:- 07/2021

उनवान:- दयाराम बनाम गोपाल वगै0

पत्रावली पेश हुई, सायल वकील उपस्थित, सायल वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में सायलान प्रत्येक 1/8-1/8 हिस्से के हिस्सेदार है। परन्तु सायलान की माँ हरभेजी पत्नि रधुवीर की मृत्यु हो चुकी है इस कारण सायलान प्रत्येक 1/6-1/6 हिस्से के हिस्सेदार है। शेष 1/2 हिस्से के दावे के प्रतिवादी न0 5 ता 9 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। सायलान व दावे के प्रतिवादी न0 5 ता 9 में मध्य घरू बटवारा पूर्व में हो चुका है एवं सायलान व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं। सायलान के बटवारे में ख0न0 336/0.39 है0 आया है जिस पर सायलान का कब्जा काश्त है। परन्तु उक्त खसरा नम्बरान एवं सायलान की अन्य हिस्से की जमीन को गैरसायल न0 1 ता 4 जबरदस्ती हडपना चाहते हैं। जिनका हमारी खातेदारी से कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। इस कारण भूमि का विधिवत बटवारा होने तक गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.01.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायल न0 1 ता 4 की और से दिनांक 06.02.2024 को ना तो स्वयं उपस्थित हुये नाही उनकी और से अधिवक्ता उपस्थित हुये इसलिये इनके विरुद्ध उक्त दिनांक को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सायल वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल ग्राम जयसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता न0 47 में कुल कित्ता 18 कुल रकवा 3.28 है0 में सायलान व उनकी माँ खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है शेष हिस्से में दावे के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है लेकिन गैरसायल न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं है। गैरसायलान अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में साबित होने से न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.01.2024 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगपुर सिटी

